

प्रेषक,

बी.के. त्रिपाठी,

प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव - सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, राँची ।

राँची, दिनांक 16-09-14

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष - 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उप शीर्ष-09-जल संसाधन विभाग मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट मुख्य शीर्ष 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	090-सचिवालय	09-जल संसाधन विभाग	32.350

अतिरिक्त आवंटित राशि -

रुपये बत्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र

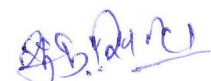
- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट उपबंध तथा वित्त विभाग के पत्रांक-310/बजट, दिनांक 13.05.14 द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट से प्राप्त कूल राशि रुपये 852.68 लाख (आठ करोड़ बावन लाख अडसठ हजार) मात्र के अंतर्गत है ।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा ।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है । प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी ।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय ।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके ।



(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.



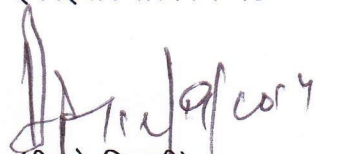
(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)



(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2014-15 से, सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन के भुगतान इस इकाई में आवंटित राशि से नियमानुसार एवं परिशिष्ट -II की सूची के अनुरूप किया जायेगा एवं जहाँ भी स्वीकृति आवश्यक हो, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर लिया जायेगा। इस इकाई में अगर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो कर्मचारीवार पूर्ण विवरण के साथ अध्याचना भेजी जाय ताकि अगले अनुपूरक बजट में राशि की माँग की जा सके।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित उप सचिव/अवर सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु. :- यथोक्त

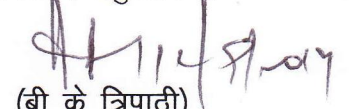

(बी के त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 105

राँची, दिनांक :- 16-09-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(बी के त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 105

राँची, दिनांक :- 16-09-14

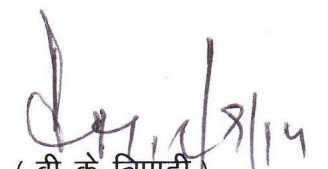
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, जल संसाधन, के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II /मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौरशिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी के त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

लघु शीर्ष-090-सचिवालय / उप शीर्ष-09-जल संसाधन विभाग

पत्रांक दिनांक का अनुलग्नक

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2014-2015	कार्यालय का नाम	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रुपये में)	
			वेतन	एल0 टी0 सी0	15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन	विकिरसा प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवाएँ	दूरभाष	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		पूर्व का आवंटन	541.00	1.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.50	1.50	1.50	1.50	3.00	1.25	561.25					
1	अवर सचिव - सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सौदी।	अतिरिक्त आवंटन	0.000	1.000	13.600	0.000	4.000	4.000	0.500	1.500	1.500	1.500	3.000	1.750	32.350					
		कुल आवंटन	541.000	2.000	13.600	2.000	8.000	8.000	1.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	593.600					

अतिरिक्त आवंटित राशि-

रु० बत्तीस लाख पैन्तीस हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(वी०क०त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

मॉग संख्या-49, मुख्य शीर्ष-3451 -आथिक सेवायें-लघु शीर्ष-090 सचिवालय/ उप शीर्ष-09 जल संसाधन विभाग

15.11.2000 के बाद के बकाये राशि के भुगतान हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन का विवरणी

कार्यालय का नाम	क्र० सं०	पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	बकाया वेतन की राशि (अनुमानित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, रांची	1	श्री संतोष कुमार	आप्त सचिव	51081	
	2	श्री अमृत चौधरी	आप्त सचिव	51621	
	3	श्री संजय चौधरी	आप्त सचिव	51621	
	4	श्री रवि कुमार	निम्नवर्गीय लिपिक	75000	
	5	श्री सीताराम मुर्मू	अभिलेखवाट	30000	
	6	श्री देव शर्मा	अनुसेवक	20000	
	7	श्री रामचन्द्र राय	फरास	30000	
	8	श्री ओम प्रकाश	अनुसेवक	30000	
	9	श्री सहदेव राय	अनुसेवक	30000	
	10	श्री उमेश सिंह	अनुसेवक	30000	
	11	श्री गाण्डेालाल बिन्द	अनुसेवक	50000	
	12	श्री आदित्य कुमार	अनुसेवक	30000	
	13	श्री भगवान सिंह	अनुसेवक	50000	
	14	श्री अरुण कुमार राय	अनुसेवक	45000	
	15	आरजु निशा	अनुसेवक	25000	
	16	श्री उपेन्द्र राउत	अनुसेवक	30000	
	17	श्री बिभूतिनाथ झा	अनुसेवक	30000	
	18	श्री राजीव गोप	अनुसेवक	50000	
	19	श्री अशोक कुमार रजक	ट्रेजरी सरकार	30000	
	20	श्री सियाराम भारती	अनुसेवक	30000	
	21	श्री दीनानाथ प्रसाद	अनुसेवक	50000	
	22	श्री विजय किशोर यादव	उच्चवर्गीय लिपिक	40000	
	23	श्री रविभूषण	निम्नवर्गीय लिपिक	30000	
	24	श्री शम्भु पाठक	से.नि. प्र.पदा.	325000	
	25	श्री सुरेश	स्वीपर	30000	
	26	स्व० हरेन्द्र प्र० साहु		33000	
	27	श्री प्रभनाथ साह	चालक(से०नि०)	50000	
	28	श्री सुभाषचन्द्र लाल	से०नि०	32677	
			कुल	1360000	

(श्वेता कुमारी)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी के त्रिपाठी)

प्रधान सचिव